

नगालैंड के स्थानीय नागरकों का रजिस्टर (RIIN)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नगा जनजातियों के एक शीर्ष नकिया, नगा होहो (Naga Hoho) द्वारा [नगालैंड के स्थानीय नागरकों का रजिस्टर](#) (Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland- RIIN) तैयार करने के संबंध नगालैंड राज्य सरकार को आगाह किया गया है। RIIN को [असम के राष्ट्रीय नागरकि रजिस्टर](#) (National Register of Citizens) का ही एक रूप माना जा रहा है।

Citizen check

A look at some key statistics of Nagaland, which is setting up a register of indigenous inhabitants

Population*: **1,988,636**

No. of tribal and non-tribal communities: **25**

Population of 16 recognised tribes: **90%**

Unlike other States, Nagaland's decadal population dropped by **0.47%** between 2001 and 2011

Decadal growth in the 1980s: **56%**

Decadal growth in the 1990s: **65%**

* Census 2011

A Konyak Naga tribesman in traditional attire



पृष्ठभूमि:

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में RIIN के अध्ययन, परीक्षण और कार्यान्वयन के संदर्भ में सफिारशि करने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।
- RIIN हेतु गठति समिति द्वारा नमिनलखिति कार्यों का नियंत्रण किया जाना था:
 - स्थानीय नविसी होने के लिये पात्रता मानदंड।
 - स्थानीय होने के दावों को प्रमाणित करने के लिये प्राधिकरण।
 - स्थानीय नविसी के रूप में पंजीकरण का स्थान।
 - स्थानीय नविसी होने के दावों का आधार।
 - दस्तावेजों की प्रकृति जो स्थानीय होने के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होंगे।
- हालाँकि, समुदाय आधारति और चरमपंथी संगठनों के वरिध के बाद इस कार्य को नलिंबिति कर दिया गया था।
- तब से नगालैंड सरकार जुलाई 2019 में शुरू की गई RIIN प्रकरण, जिसका उद्देश्य बाह्य लोगों द्वारा राज्य में नौकरी और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु नकली स्वदेशी प्रमाण पत्रों प्रस्तुत किया जाने पर अंकुश लगाना था, को पुनः शुरू करने का प्रयास कर रही है।

नगालैंड के स्थानीय नागरकों का रजिस्टर (RIIN):

- RIIN को आधिकारिक अभिलैखों/रकिएरड्स के आधार पर स्थानीय नविसियों की ग्राम-वार और वारड-वार सूची की मदद से एक वसितृत सर्वेक्षण के बाद तैयार किया जाएगा। साथ ही, इसे प्रत्येक ज़िला प्रशासन की निगरानी में तैयार किया जाएगा।
- एक बार RIIN का कार्य पूर्ण होने के बाद, राज्य के स्थानीय नविसियों बच्चों के जन्म के अलावा किसी को भी स्थानीय नविसी प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। स्थानीय नविसियों के बच्चों के जन्म प्रमाण के साथ ही उन्हें स्थानीय नविसी का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तदनुसार RIIN डेटाबेस को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।
- RIIN को इनर-लाइन परमटि (Inner-Line Permit) प्राप्त करने के हेतु ३०नलाइन प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया जाएगा। इनर-लाइन परमटि

- एक अस्थायी दस्तावेज़ है जो नगालैंड में प्रवेश और यात्रा करने वाले गैर-नविस्थियों को जारी किया जाता है।
- इस समग्र प्रणाली या प्रक्रिया की निगरानी नगालैंड के आयुक्त द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार सचिव रैंक के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगी।

नगाओं की चति:

- यदि RIIN के लिये पहचान प्रक्रिया के तहत **1 दसिंबर, 1963** (नगालैंड को राज्य का दर्जा मिलने की तिथि) को स्थानीय नविस्थियों के निर्धारण हेतु अंतिम तिथि के रूप में लागू किया जाता है तो इस तिथि के बाद नगालैंड में प्रवेश करने वाले नगा RIIN की सूची से बाहर हो जाएंगे। इसके चलते भयावह प्रणाली सामने आ सकते हैं।
- संपत्ति का नुकसान:**
 - भारत के असम, मणपुर, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में रहने वाली नगा जनजातियाँ अपने पूरवजों की पैतृक भूमियों पर अपने दावे को वैध ठहराती रही हैं।
 - हजारों नगा ऐसे हैं जिन्होंने नगालैंड में जमीनें खरीदी, अपने घर बनाए और दशकों से यहाँ रहे हैं।
 - 1 दसिंबर, 1963 से पहले के अभिलिखों जैसे- भूमिका पटाकरण, भूमिकर तथा हाउस टैक्स का भुगतान या मतदाता सूची में नामांकन आदि का अभाव के रूप कई प्रक्रियात्मक वसिंगतियाँ उन नगा परवारों में भी देखने को मिल सकती हैं जिन्हें तथाकथति रूप से नगालैंड का विशुद्ध नगा समुदाय माना जाता है।
- अवैध प्रवासी:**
 - गैर-स्थानिक नगाओं (Non-Indigenous Nagas) में इस बात की आशंका बनी हुई है कि उन्हें राज्य में “अवैध आप्रवासी” (Illegal Immigrants) घोषित किया जा सकता है तथा उनकी भूमिज़बूत हो सकती है। इससे एक साथ, एकजुट और स्वतंत्र रूप से रहने के नगा लोगों की धारणा/विचार पर नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा।

नगा:

- नगा, मुख्य तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं जिनकी आबादी लगभग 2. 5 मिलियन (नगालैंड में 1.8 मिलियन, मणपुर में 0.6 मिलियन और अरुणाचल प्रदेश में 0.1 मिलियन) है। ये भारतीय राज्य- असम और बर्मा (म्यांमार) के मध्य सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।
- नगा, केवल एक जनजाति नहीं है, बल्कि एक जातीय समुदाय है, जिसमें नगालैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों की कई जनजातियाँ शामिल हैं।
- नगा समुदाय, इंडो-मंगोलॉयड समूह से संबंधित है।
- कुछ प्रमुख नगा जनजातियों में एओस (Aos), अंगामिसि (Angamis), चांग्स (Changs), चकेसांग (Chakesang) , काबूस (Kabuis), कचरसि (Kacharis), कोन्याक (Konyaks), कूकी (Kuki) लोथस (Lothas), माओ (Maos) , मिकीर्स (Mikirs), रेंगमास (Rengmas), टैंकहुल्स (Tankhuls), और ज़ीलियांग (Zeeliang) आदि शामिल हैं।

आगे की राह:

- नगालैंड पहले से ही अस्थायी क्षेत्र है जहाँ **सशस्तर बल (वशिष्ठाधिकार) अधिनियम 1958** (Armed Forces Special Powers Act- AFSPA) लागू है, अतः ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के लिये RIIN को तैयार करने में खासा सावधानी बरतने काफी आवश्यक है। साथ ही RIIN को एक ऐसे साधन के रूप में प्रयोग करने से बचा जाना चाहयि, जिससे राज्य के मूल नविस्थियों की पहचान पर कोई भी संकट उत्पन्न हो।
- ज्ञात हो कि असम में NRC के प्रयोग के अत्यंत वभाजनकारी प्रणाली सामने आए थे। असम और नगालैंड राज्यों में जो कुछ भी घटति होता है उसका अन्य पूर्वोत्तर राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में RIIN को तैयार करने में भावनात्मक राजनीतिक मुद्दों को एक आधार बनाने से बचा जाना चाहयि।

स्रोत: द हृदि